**सं0-11/2018/1037/62-2-2018-2/3(47)/2017**

**प्रेषक,**

**शरद कुमार सिंह,**
**विशेष सचिव,**
**उत्तर प्रदेश शासन।**

**सेवा में,**

**मुख्य अभियंता,**
**लघु सिंचाई विभाग,**
**उत्तर प्रदेश, लखनऊ।**

**लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ- दिनांक- 16 मार्च,2018**

**विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत अनुदान सं0-13 के अधीन केन्द्र पुरोनिधानित योजना में संचालित डिग्री/डिप्लोमा होल्डर्स का प्रशिक्षण हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि को अवमुक्त किये जाने के संबंध में।**

**महोदय,**

**उपर्युक्त विषयक आपने पत्र संख्या-जी-186/ल0सिं0/बजट-के0पो0/2017-18, दिनांक 13.03.2018 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03.08.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-13 के अधीन केन्द्र पुरोनिधानित योजना में संचालित डिग्री/ डिप्लोमा होल्डर्स का प्रशिक्षण हेतु प्राविधानित धनराशि रू0-61.00 लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या-4099/62-2-2017-2/3(47)/2017, दिनांक 27.06.2017 द्वारा धनराशि रू0-15.25 लाख अवमुक्त की गयी है। उक्त अवमुक्त धनराशि को घटाने के पश्चात अवशेष धनराशि रू0-45.75 लाख (रू0-पैंतालिस लाख पचहत्तर हजार मात्र) केन्द्रांश की धनराशि की प्रतिपूर्ति होने की प्रत्याशा में उक्त शासनादेश दिनांक 27.06.2017 में उल्लिखित शर्तो के अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धो के अधीन श्री राज्यपाल आपके निस्तारण पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-**

**(1) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्य योजना एवं मदों में योजना हेतु निर्धारित गाइड लाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ही किया जायेगा।**

**(2) किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाय तथा इसका व्यय नई मदों में न किया जाय। धनराशि का अहारण आवश्कतानुसार किया जायेगा।**

**(3) आहरित धनराशि का व्यय/उपयोग वर्ममान में वित्तीय वर्ष में ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।**

**(4) आहरित धनराशि का व्यय/उपयोग वर्तमान वित्तीय वर्ष में करते हुए समयान्तर्गत् प्रतिपूर्ति सुनिश्चित किया जायेगा।**

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/ 2017, दिनांक 03.08.2017 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्गत् आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया।

2. उपर्युक्त् पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान सं0-13 के अन्तर्गत " लेखाशीर्षक-2702-लघु सिंचाई-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0101-लघु सिंचाई के अन्तर्गत अभियंत्रण स्नातक/डिप्लोमा होल्डर्स का प्रशिक्षण (के.50/रा.50-के.$रा.)-21-छात्रवृतियां और छात्र वेतन " के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0प्र0 द्वारा दिये गये परामर्श/सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(शरद कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-1037(1)/62-2-2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
4- नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
6- निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
7- एन0आई0सी0 की प्रति।
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(राम किंकर मिश्र)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।